India Literacy Board

Literacy House, Kanpur Road, Lucknow-226023, U.P.
Phone No. 0522-2470268, email : directorilblko@gmail.com

Nominations Invited for National level Dr.Welthy Fisher Award

In continuation to the advertisement dated 01.06.2024, 29.06.2024, 24.07.2024 and 20.08.2024 the last date for submission of nominations for Dr. Welthy Fisher Award–2024 is extended to 31.08.2024. The CoP and prescribed format for nomination can be viewed on our website www.indialiteracyboard.org. Interested Institutions/ Organisations may submit their nominations online on our email id ilbwfawardnomination@gmail.com & by registered post up to 31.08.2024.

(Director)

इण्डिया लिटरेसी बोर्ड

लिटरेसी हाऊस, कानपुर रोड, लखनऊ–226023, उ.प्र.
दूरभाष न. 0522–2470268, ई–मेल : directorilblko@gmail.com

राष्ट्रीय स्तर के डॉ. वेल्दी फिशर पुरस्कार के लिए नामांकन आमंत्रित

पूर्व प्रकाशित विज्ञापन दिनांक 01.06.2024, 20.06.2024, 24.07.2024 एवं 20.08.2024 के क्रम में डॉ. वेल्दी फिशर पुरस्कार–2024 हेतु संस्थाओं/संगठनों से नामांकन आमंत्रित करने की तिथि दिनांक 31.08.2024 तक बढ़ाई जाती है। पुरस्कार के लिए निर्धारित संहिता एवं नामांकन हेतु निर्धारित प्रारूप हमारी वेबसाईट www.indialiteracyboard.org पर देखा जा सकता है। इच्छुक संस्थान/संगठन अपना नामांकन निर्धारित प्रारुप पर दिनांक 31.08.2024 तक हमारी ईमेल आईडी ilbwfawardnomination@gmail.com पर आनलाइन और पंजीकृत डाक से जमा कर सकते है।

(निदेशक)

Dr. Welthy Fisher Award - Code of Procedure

Foreword

United States-born Dr.Welthy Honsinger Fisher (September 18, 1879 to December 16, 1980), popularly known as “Akshardatri Maa”, took the initiative to eradicate the darkness of illiteracy in India with the inspiration of Mahatma Gandhi. Her journey to remove illiteracy in India started in the year 1953 from Prayagraj.

In the year 1956, she came to Lucknow, where she established 'Saksharta Niketan, India Literacy Board and Kisan Vidyapeeth'. During the next three decades, by mobilizing resources every year from all over the world,she made a significant and pioneering contribution in eradicating illiteracy from India.Through continued experimentation, she developed more than 500 text books and a literacy kitfor new adult learners,equipped with which, the teacher could teach the students.

Under her leadership, the Indian Literacy Board has done unprecedented work for the eradication of illiteracy through the State Resource Center as a nerve center and mother center of master trainers in the country. Representatives from more than 10 developing countries received training in the field of adult education at Saksharta Niketan. Apart from being a great educationist, Dr. Fisher was also a brilliant journalist,writer, and dynamic speaker. Her statement **“Why curse the darkness.It is good to light a lamp”** is the torch of inspiration for the creation of literature for adult education. She was honoured with many prestigious awards like Nehru Literacy Award, Ramon Magsaysay Award, UNESCO Literacy Award etc. She contributed the entire money received from the Ramon Magsaysay Award for the establishment of Yuva Kisan Vidyapeeth under the aegis of Saksharta Niketan for training of farmers in progressive farming. A postage stamp was also issued in her honour by the Government of India in the year 1980.

To honour the unprecedented contribution made by Dr. Welthy Honsinger Fisher in the field of Literacy, Lifelong Education, and Agriculture (Innovative farming, Natural farming, and Farmers training) and to generate interest in her life ideals and works, it has been decided by the India Literacy Board to start a National level **'Dr. Welthy Fisher Award'** from the year 2023. The award will be given every year and it will carry a cash award of Rs. One lakh, citation in scroll, plaque, and attractive traditional handicraft/handloom item.

Chapter 1

Award details

1. This award will be given to an Institution/Organisation who has made outstanding contribution in the field of Literacy & Life Long Education Or in the field of Agriculture related to Innovative Farming or Natural Farming or Farmers Training in India.
2. The award will be given every year in which an amount of one lakh rupees, a citation in a scroll, a plaque and an attractive traditional handicraft/handloom item will be given.
3. The award can be divided among two such Institutions/Organisations as the Executive Committee of the India Literacy Board considers equally entitled to receive the honour in a particular year. However, the award money shall be one lakh rupees only. Both the selected Institutions/Organisations will be given award money of fifty thousand rupees each.
4. Institution/Organisation who have received the award once will not be entitled for receiving the award again.

Chapter 2

Eligibility for Award

1. Institutions/Organisations of India will be eligible to receive this award.
2. All Institutions/Organisations who are either members of the General Body/Executive Committee of the India Literacy Board or who have a commercial relationship with the institution will not be eligible to apply for the award.

Chapter 3

Award period

1. The award will be given every year. It will be started from the year 2022 and after that it will be given every year.
2. However, if it is considered that none of the proposals given is worthy of honour, the Executive Committee shall be free not to confer the award for that year.
3. Only recent work completed within a period of 10 years from the date of nomination will be considered for the award.
4. Notwithstanding the preceding clause, work prior to this period may also be considered if the importance of that work has come to light recently.

Chapter 4

Ability to send proposals

1. Any Institution/Organisation of the country working in the field of Literacy & Life Long Education Or in the field of Agriculture related to Innovative Farming or

Natural Farming or Farmers Training in India will be considered competent to send a proposal for the award mentioning their long outstanding works.

2. The Executive Committee can also nominate any Institution/Organization on its own initiative.

3. A detailed article should be sent along with the proposal for consideration.

4. The proposal for consideration will be acceptable in Hindi or English language only.

5. The decision of the Executive Committee will be final in all matters.

Chapter 5

Inviting proposals and submitting proposals

1. Every year the India Literacy Board will issue a notice inviting proposals for the award as soon as possible in the month of April after the announcement of the previous year's award. In the First year, proposals can be invited in any month.

2. Those proposals will be considered by the Executive Committee, which have been received in the office of the India Literacy Board by 30th June of the year, for which the award is to be given. Provided that the Chairman, India Literacy Board is not of the opinion that such period should be extended either generally or with reference to a particular proposal.

3. The India Literacy Board will scrutinize the nominations received and seek clarifications, if any, and prepare an outline of each nominee in a booklet form and forward it to the Chairman of the Executive Committee for organising the meeting of the Executive Committee.

Chapter 6

Evaluation of proposals

1. Any such Institution/Organisation will be considered eligible for the award only if, in the opinion of the Executive Committee, it has received credit for outstanding achievement in the field of Literacy & Lifelong Education Or in the field of Agriculture related to Innovative Farming or Natural Farming or Farmers Training in India through innovative methods/strategies, especially in conflict or extreme circumstances.

Chapter 7

Jury and selection

1. The requisite scrutiny and final selection for the award will be done by the Executive Committee of the India Literacy Board.

2. The Chairman of the Executive Committee of the India Literacy Board shall have the right to nominate two other eminent persons in the Executive Committee in this behalf.

3. All the members of the Executive Committee and Jury will give a undertaking that they have no relationship with any of the applicants for the award.

4. The Executive Committee will be able to take the final decision only when its quorum including the Chairman of the Executive Committee is complete.

5. The deliberations, discussions, opinions, and proceedings of the Executive Committee relating to the award shall neither be publicly told nor disclosed.

6. As far as possible, the Executive Committee will announce its decision on 18th September, the birth anniversary of Dr. Welthy Honsinger Fisher, or 16th December, on her death anniversary.

7. The decision of the Executive Committee will be final and no appeal or objection can be made against the decision.

Chapter 8
Prize distribution

1. The award will be presented at a special function to be held at India Literacy Board, Head Quarter, Lucknow.

2. The authorised representative of the recipient Institution/Organisation will be invited to the special function to receive the award in person.

3.The awardee Institution/Organisation will be requested to deliver a public lecture/presentation of the work for which the award has been given.

4. In addition to the prize money, each awardee will also be given a citation in scroll, a plaque, and an attractive traditional handicraft/handloom item.

5. The award money will be paid by the India Literacy Board from the Welthy Fisher Endowment Fund.

6. If the awardee declines to accept the award, the amount shall be immediately returned to the Welthy Fisher Endowment Fund. However, if the awardee accepts the award but fails to withdraw the amount within a period of 36 months, the amount shall be returned to the Welthy Fisher Endowment Fund.

Chapter 9
General

1. The right to make changes in the Code of Procedure shall be vested in the Executive Committee of the India Literacy Board.

2. Necessary funding for the award and all contingencies related to it will be arranged from the Welthy Fisher Endowment Fund.

Format for application: Appendix I

APPENDIX-1

APPLICATION FORMAT FOR DR. WELTHY FISHER AWARD

1. NAME OF THE INSTITUTION/ ORGANISATION (BOTH IN ENGLISH AND HINDI SCRIPT)

2. NAME & DESIGNATION OF HEAD OF THE INSTITUTION/ ORGANISATION

3. ADDRESS IN FULL
   PLEASE ALSO INDICATE PIN CODE,TEL.NO./EMAIL ID/MOB.NO)

4. REGISTRATION NUMBER AND DATE OF REGISTRATION
   (PLEASE ENCLOSE A CERTIFIED COPY OF REGISTRATION CERTIFICATE IN ENGLISH OR HINDI)

5. PAN NO.:

6. TAN NO.:

7. GST NO.:

8. DARPAN I.D.:

9. NAMES AND ADDRESS OF THE EXECUTIVE COMMITTEE/BOARD MEMBERS

10. OBJECTIVES OF THE INSTITUTION/ORGANISATION

11. FIELD OF ACTIVITY: **(IN THE FIELD OF LITERACY & LIFE LONG EDUCATION OR IN THE FIELD OF AGRICULTURE RELATED TO INNOVATIVE FARMING OR NATURAL FARMING OR FARMERS TRAINING IN INDIA)**

12. WAS THE WORK DONE IN RURAL AREA/URBAN AREA:

13. OUTSTANDING WORK DONE DURING THE REPORTING PERIOD IN THE FIELD OF ACTIVITY FOR WHICH AWARD IS TO BE GIVEN.
    *(DULY SIGNED BRIEF NOTE OF ABOUT 350 WORDS, UNDER THE HEADING **"OUR OUTSTANDING WORK"** IS TO BE SUBMITTED. NOTE MUST SPECIFY FIELD OF ACTIVITY, PRE AND POST SCENARIO, INNOVATIVE STRATEGIES ADOPTED ESPECIALLY IN CONFLICT OR EXTREME CIRCUMSTANCES AND RESULTS. NOTE MUST BE SUPPORTED BY STATASTICAL DATA OF OUTSTANDING WORK DONE, GEOGRAPHICAL AREA COVERED/NUMBER OF PERSONS BENEFITTED, ETC.)*

14. SUPPORTING DOCUMENTS ALONG WITH PHOTOGRAPHS FOR THE OUTSTANDING WORK ARE TO BE ATTACHED.

15. PLEASE INDICATE HOW THE WORK INDICATED IN POINT NO. 13 ABOVE IS MEASURABLE/ VERIFIABLE IN QUANTITATIVE TERMS.

16. WHETHER THE WORK DONE WAS WITH FINANCIAL ASSISTANCE FROM CENTRAL GOVERNMENT, STATE GOVERNMENT OR ANY OTHER SOURCE OR PURELY VOLUNTARY. IF DONE WITH FINANCIAL ASSISTANCE, PLEASE INDICATE THE EXTENT OF FINANCIAL ASSISTANCE RECEIVED FROM VARIOUS SOURCES.

17. THE EXTENT TO WHICH THE INSTITUTION/ORGANISATION WAS IN A POSITION TO INVOLVE COMMUNITY IN ITS WORK.

18. SOCIO ECONOMIC IMPACT OF THE OUTSTANDING WORK ON THE COMMUNITY/SOCIETY.

19. HAS THE INSTITUTION/ORGANISATION RECEIVED ANY AWARD PREVIOUSLY AT THE STATE/ NATIONAL LEVEL IN RECOGNITION OF THE SERVICES RENDERED? IF SO, PLEASE GIVE DETAILS OF THE AWARD.

20. NAME, ADDRESS AND TELEPHONE/MOBILE NUMBER/EMAIL ID OF TWO EMINENT PERSONALITIES FROM YOUR AREA WHO RECOGNIZE THE WORK DONE BY YOUR INSTITUTION/ORGANISATION FOR THE COMMUNITY.

21. INSTITUTION/ORGANISATION WILL PROVIDE A SELF DECLARATION THAT IT HAS NOT BEEN BLACK LISTED BY THE GOVERNMENT/COURT.

DATE:

SIGNATURE OF HEAD OF
INSTITUTION/ORGANIZATION
NAME
SEAL/STAMP

RECOMMENDATION

I AM AWARE ABOUT THE ACTIVITIES OF THIS INSTITUTION/ ORGANISATION SINCE ----- YEARS AND I CERTIFY THAT THE PARTICULARS GIVEN ABOVE ARE CORRECT. THE INSTITUTION/ ORGANISATION IS ELIGIBLE FOR THE DR. WELTHY FISHER AWARD AND I RECOMMEND IT FOR THE SAME.

SIGNATURE
DATE: NAME AND DESIGNATION
SEAL/STAMP

N.B.:

* INCOMPLETE APPLICATIONS WILL NOT BE CONSIDERED FOR THE AWARD.

** 02 PASSPORT SIZE PHOTOGRAPHS OF THE CHIEF EXECUTIVE AND ONE MEMBER OF THE INSTITUTION/ORGANISATION, WHO WILL BE RECEIVING THE AWARD IF SELECTED, SHOULD BE ENCLOSED.

*** THERE COMMENDING AUTHORITY IS SOLELY RESPONSIBLE FOR THE DECLARATION MADE BY THE APPLICANT.

डॉ. वेल्दी फिशर अवार्ड हेतु संहिता (कोड आफ प्रोसीजर) संशोधित

प्राक्कथन

अक्षरदार्ती माँ के नाम से प्रसिद्ध संयुक्त राज्य अमेरिका में जन्मी डा0 वेल्दी होसिंगर फिशर (18 सितम्बर, 1879 से 16 दिसम्बर, 1980) द्वारा महात्मा गांधी की प्रेरणा से भारत में निरक्षरता के अंधकार को मिटाने का संकल्प लिया। भारत में निरक्षरता दूर करने की उनकी यात्रा वर्ष 1953 में इलाहाबाद (वर्तमान प्रयागराज) में साक्षरता निकेतन की स्थापना से प्रारम्भ हुई। तत्कालीन गवर्नर श्री के.एम. मुंशी के आग्रह पर वर्ष 1956 में वह लखनऊ आयीं, यहां उनके द्वारा इण्डिया लिटरेसी बोर्ड, **साक्षरता निकेतन** तथा किसान विद्यापीठ' की स्थापना कर आगामी तीन. दशकों तक संसार भर से प्रतिवर्ष संसाधन जुटा कर भारत से निरक्षरता दूर करने में महत्वपूर्ण एवं अग्रणी योगदान दिया गया। उनके द्वारा निरन्तर प्रयोग करते हुए नव्य प्रौढ़ शिक्षार्थियों के लिए 500 से अधिक पाठ्य पुस्तकें तैयार करायी गयीं और एक ऐसी साक्षरता किट विकसित की गयी, जिससे सुसज्जित होकर अध्यापक विद्यार्थियों को पढ़ा सकता था। उनके नेतृत्व में इण्डिया लिटरेसी बोर्ड द्वारा राज्य संसाधन केन्द्र के माध्यम से साक्षरता उन्मूलन हेतु देश में मास्टर ट्रेंनर्स के प्रशिक्षण एवं मातृत्व केन्द्र के रुप में अभूतपूर्व कार्य किया गया। 10 से अधिक विकासशील देशों के प्रतिनिधियों द्वारा साक्षरता निकेतन में प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में प्रशिक्षण प्राप्त किया गया। डॉ0 फिशर महान शिक्षाविद होने के साथ–साथ एक मेधावी पत्रकार, लेखक व ओजस्वी वक्ता भी थीं। उनका कथन **''अंधकार को क्यों धिक्कारें। अच्छा हो एक दीप जलायें''** प्रौढ़ साहित्य निर्माण की प्रेरक मशाल है। उन्हें अनेक प्रतिष्ठित पुरस्कारों जैसे नेहरु साक्षरता पुरस्कार, रेमन मैगसेसे पुरस्कार, यूनेस्को साक्षरता पुरस्कार आदि से सम्मानित किया गया। उनके द्वारा रेमन मैगसेसे पुरस्कार से प्राप्त अपनी समूची धनराशि से युवा किसान विद्यापीठ की स्थापना की गयी। भारत सरकार द्वारा वर्ष 1980 में उनके सम्मान में डाक टिकट भी जारी किया गया।

डॉ. वेल्दी होसिंगर फिशर द्वारा साक्षरता, आजीवन शिक्षा एवं कृषि क्षेत्र में अभिनव प्रयोग, प्राकृतिक खेती तथा कृषकों के प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिये गये अभूतपूर्व योगदान को सम्मानित करने व उनके जीवन आदर्शो व कृतियों में रुचि पैदा करने के लिए, इण्डिया लिटरेसी बोर्ड द्वारा वर्ष 2023 से **राष्ट्र स्तरीय 'डॉ. वेल्दी फिशर पुरस्कार'** प्रारम्भ किये जाने का निर्णय लिया गया है। प्रत्येक वर्ष एक पुरस्कार दिया जाएगा और इसमें पुरस्कार स्वरूप ₹1.00 लाख़ की राशि, स्क्रॉल में प्रशस्ति पत्र, पट्टिका व आकर्षक पारंपरिक हस्तशिल्प/हथकरघा वस्तु दी जाएगी।

अध्याय 1
पुरस्कार संबंधी विवरण

1. यह पुरस्कार साक्षरता तथा आजीवन शिक्षा अथवा कृषि क्षेत्र में अभिनव प्रयोग या प्राकृतिक खेती या कृषकों के प्रशिक्षण के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान करने वाले संस्था/संगठन को दिया जाएगा।
2. प्रत्येक वर्ष एक पुरस्कार दिया जाएगा जिसमें पुरस्कार स्वरूप एक लाख़ रुपए की राशि, स्क्रॉल में एक प्रशस्ति–पत्र, पट्टिका व आकर्षक पारंपरिक हस्तशिल्प/हथकरघा वस्तु दिया जाएगा।
3. पुरस्कार ऐसे दो संस्थाओं/संगठनों को भी एक साथ दिया जा सकता है जिन्हें इण्डिया लिटरेसी बोर्ड की कार्यकारिणी समिति विशिष्ट वर्ष में समान रूप से सम्मान प्राप्त करने का हकदार समझती है। परन्तु पुरस्कार राशि रुपया एक लाख ही होगी। दोनों चयनित संस्था/संगठनों को पुरस्कार धनराशि रुपया 50–50 हजार दी जायेगी।
4. एक बार पुरस्कार प्राप्त कर चुके संस्था/संगठन दोबारा पुरस्कार प्राप्त करने के हकदार नहीं होगें।

अध्याय 2
पुरस्कार के लिए पात्रता

1. इस पुरस्कार को प्राप्त करने के लिए भारत के संस्था अथवा संगठन पात्र होंगे।
2. ऐसी संस्था/संगठन जो स्वयं अथवा उनके कोई सदस्य/प्रतिनिधि इण्डिया लिटरेसी बोर्ड की साधारण सभा/कार्यकारिणी समिति के सदस्य हों अथवा जिनका संस्था से किसी प्रकार का व्यावसायिक सम्बन्ध हो, वह पुरस्कार हेतु आवेदन करने के पात्र नहीं होगें।

अध्याय 3
पुरस्कार की अवधि

1. पुरस्कार प्रति वर्ष प्रदान किया जाएगा। इसे वर्ष 2022 से प्रारम्भ किया जाएगा तथा इसके पश्चात् यह प्रति वर्ष प्रदान किया जाएगा।
2. तथापि, यदि यह समझा जाए कि दिए गए प्रस्तावों में से कोई भी प्रस्ताव सम्मान के योग्य नहीं है, तो कार्यकारिणी समिति उस वर्ष के लिए पुरस्कार प्रदान न किए जाने के लिए स्वतंत्र होगी।
3. पुरस्कार के लिए केवल हाल के कार्य पर विचार किया जाएगा, जो नामांकन की तारीख से 10 वर्ष की अवधि के अन्दर सम्पन्न किया गया हो।
4. पूर्ववर्ती खंड के बावजूद, इस अवधि से पहले के कार्य पर भी विचार किया जा सकता है यदि उस कार्य की महत्ता हाल ही में प्रकाश में आयी हो।

अध्याय 4
प्रस्ताव भेजने की सक्षमता

1. भारतवर्ष में साक्षरता तथा आजीवन शिक्षा अथवा कृषि क्षेत्र में अभिनव प्रयोग या प्राकृतिक खेती या कृषकों के प्रशिक्षण के क्षेत्र में कार्यरत देश के किसी संस्था/संगठन

को अपने दीर्घ उत्कृष्ट कार्यो का उल्लेख करते हुए पुरस्कार के लिए प्रस्ताव भेजने के लिए सक्षम माना जाएगा।

2. कार्यकारिणी समिति स्वप्रेरणा से भी किसी संस्था/संगठन को नामित कर सकती है।
3. विचारार्थ प्रस्तावों के साथ एक विस्तृत आलेख भेजा जाना चाहिए।
4. विचारार्थ प्रस्ताव इण्डिया लिटरेसी बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रारुप पर हिन्दी अथवा अंग्रेजी भाषा में ही स्वीकार्य होगा।
5. सभी मामलों में कार्यकारिणी समिति का निर्णय अंतिम होगा।

अध्याय 5
प्रस्ताव आंमत्रित करना व प्रस्ताव प्रस्तुत करना

1. प्रत्येक वर्ष इण्डिया लिटरेसी बोर्ड पिछले वर्ष के पुरस्कार की घोषणा के पश्चात यथासम्भव अप्रैल माह में पुरस्कार हेतु प्रस्ताव आंमत्रित करने हेतु सूचना जारी करेगा।
2. कार्यकारिणी समिति द्वारा उन प्रस्तावों पर विचार किया जायेगा जो इण्डिया लिटरेसी बोर्ड के कार्यालय में वर्ष के 30 जून तक प्राप्त हो गए हों, जिनके लिए पुरस्कार दिया जाना है, बशर्ते कि अध्यक्ष का यह मत न हो कि ऐसी अवधि को सामान्यतया या प्रस्ताव विशेष के संदर्भ में बढ़ाया जाना चाहिए।
3. इण्डिया लिटरेसी बोर्ड, प्राप्त नामांकनों की जाँच करेगा और स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, मांगेगा और पुस्तिका रूप में प्रत्येक नामिती की रूपरेखा तैयार करेगा तथा कार्यकारिणी समिति की बैठक आयोजित करने के लिए इसे कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष को भेजेगा।

अध्याय 6
प्रस्तावों का मूल्यांकन

1. ऐसी किसी भी संस्था/संगठन को पुरस्कार के योग्य तभी समझा जाएगा जब कार्यकारिणी समिति के विचार से उसे विशेषतः अतिविषम परिस्थितियों में अभिनव तरीकों/कार्यनीतियों के जरिए साक्षरता तथा अजीवन शिक्षा अथवा कृषि क्षेत्र में अभिनव प्रयोग या प्राकृतिक खेती या कृषकों के प्रशिक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि का श्रेय प्राप्त हो।

अध्याय 7
जूरी और चयन

1. पुरस्कार संबंधी अपेक्षित संवीक्षा और अंतिम चयन इण्डिया लिटरेसी बोर्ड की कार्यकारिणी समिति द्वारा किया जाएगा।
2. इण्डिया लिटरेसी बोर्ड की कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष द्वारा इस निमित्त कार्यकारिणी समिति में दो अन्य प्रख्यात व्यक्तियों को नामित करने का अधिकार होगा।
3. कार्यकारिणी समिति एवं ज्यूरी के सभी सदस्य इस आशय का प्रमाणपत्र देगें कि उक्त पुरस्कार के आवेदनकर्ताओं में उनका कोई सम्बन्धी नहीं है।
4. कार्यकारिणी समिति केवल तभी अंतिम निर्णय लेने में सक्षम होगी जब कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष सहित उसका कोरम पूरा हो।

5. पुरस्कार से संबंधित कार्यकारिणी समिति की चर्चाओं, परिचर्चाओं, अभिमतों और कार्यवाही को न तो सार्वजनिक तौर से बताया जाएगा और न ही उनका खुलासा किया जाएगा।
6. जहाँ तक संभव होगा कार्यकारिणी समिति अपने निर्णय की उद्घोषणा दिनांक 18 सितम्बर को डॉ. वेल्दी होसिंगर फिशर की जयंती अथवा 16 दिसम्बर उनकी पुण्य तिथि के अवसर पर करेगी।
7. कार्यकारिणी समिति का निर्णय अंतिम होगा और उनके विरुद्ध कोई अपील अथवा आपत्ति नहीं की जा सकती।

अध्याय 8
पुरस्कार वितरण

1. पुरस्कार इण्डिया लिटरेसी बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ में आयोजित एक विशेष समारोह में प्रदान किया जाएगा।
2. विशेष समारोह में पुरस्कार प्राप्त करने हेतु चयनित संस्था/संगठन को व्यक्तिगत रुप से पुरस्कृत किया जायेगा।
3. पुरस्कृत संस्था/संगठन को उस कार्य से संबंधित एक सार्वजनिक व्याख्यान/प्रस्तुतिकरण देने के लिए कहा जाएगा, जिसके लिए पुरस्कार दिया गया है।
4. प्रत्येक पुरस्कार प्राप्तकर्ता को पुरस्कार राशि के अतिरिक्त स्क्राल में प्रशस्ति पत्र, पट्टिका व आकर्षक पारंपरिक हस्तशिल्प/हथकरघा वस्तु भी प्रदान की जाएगी।
5. पुरस्कार राशि का भुगतान इण्डिया लिटरेसी बोर्ड द्वारा वेल्दी फिशर एनडाउमेन्ट फण्ड से किया जाएगा।
6. यदि पुरस्कार प्राप्तकर्ता पुरस्कार लेने से इंकार करता है तो वह राशि तत्काल वेल्दी फिशर एनडाउमेन्ट फण्ड को वापस कर दी जाएगी। लेकिन, यदि पुरस्कार प्राप्तकर्ता पुरस्कार स्वीकार करता है लेकिन 36 माह की अवधि के भीतर उस राशि को आहरित करने में विफल रहता है तो वह राशि वेल्दी फिशर एनडाउमेन्ट फण्ड को वापस कर दी जाएगी।

अध्याय 9
सामान्य

1. संहिता में परिवर्तन करने का अधिकार इण्डिया लिटरेसी बोर्ड की कार्यकारिणी समिति में निहित होगा।
2- पुरस्कार हेतु आवश्यक वित्तपोषण और तत्संबंधी सभी आकस्मिक व्ययों की व्यवस्था वेल्दी फिशर एनडाउमेन्ट फण्ड से की जाएगी।

नामांकन का प्रारूप : परिशिष्ट–1

<u>परिशिष्ट–1</u>

डॉ. वेल्थी फिशर पुरस्कार के लिए आवेदन प्रारूप

1.	संस्था / संगठन का नाम (अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में)	:
2.	संस्था / संगठन के प्रमुख का नाम एवं पदनाम	:
3.	पूरा पता (पिन कोड, दूरभाष, ईमेल आईडी, मोबाइल नम्बर सहित)	:
4.	पंजीकरण संख्या और पंजीकरण की तारीख (कृपया अंग्रेजी या हिन्दी में पंजीकरण प्रमाण–पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करें)	:
5.	पैन नम्बर	:
6.	टैन नम्बर	:
7.	जी.एस.टी. नम्बर	:
8.	दर्पण आई.डी.	
9.	कार्यकारी समिति / बोर्ड सदस्यों के नाम और पता	:
10.	संस्था / संगठन के उद्देश्य	:
11.	गतिविधि का क्षेत्र– साक्षरता और आजीवन शिक्षा या कृषि क्षेत्र में अभिनव प्रयोग या प्राकृतिक खेती या कृषकों का प्रशिक्षण)	:
12	कार्य ग्रामीण क्षेत्र में किया गया है अथवा शहरी क्षेत्र में।	:

13. रिपोर्टिंग अवधि के दौरान गतिविधि के क्षेत्र में किया गया अभूतपूर्व कार्य जिसके लिए पुरस्कार दिया जाना है।

    ("हमारे अभूतपूर्व कार्य" शीर्षक के तहत लगभग 350 शब्दों का विधिवत हस्ताक्षरित संक्षिप्त नोट जमा किया जाना है। नोट में गतिविधि का क्षेत्र, पूर्व और बाद के परिदृश्य, विशेष रूप से संघर्ष या विषम परिस्थितियों में अपनाई गई नवीन रणनीतियों और परिणामों को निर्दिष्ट करना होगा। नोट किए गए अभूतपूर्व कार्य, आच्छादित किए गए भौगोलिक क्षेत्र, लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या, आदि के सांख्यिकीय डेटा द्वारा समर्थित होना चाहिए)।

14. किए गए अभूतपूर्व कार्य के फोटोग्राफ्स सहित सहायक दस्तावेज संलग्न करें।

15. कृपया बताएँ कि बिंदु संख्या–13 में दर्शाया गया कार्य किस प्रकार भौतिक एवं मात्रात्मक रूप से सत्यापन योग्य है।

16. क्या किया गया कार्य केंद्र सरकार, राज्य सरकार या किसी अन्य स्रोत से वित्तीय सहायता से किया गया था या पूरी तरह से स्वैच्छिक था। यदि वित्तीय सहायता के साथ किया गया है, तो कृपया विभिन्न स्रोतों से प्राप्त वित्तीय सहायता के विवरण का उल्लेख करें।

17. संस्था/संगठन अपने काम में समुदाय को किस हद तक शामिल करने की स्थिति में था।

18. अभूतपूर्व कार्य का समुदाय/समाज पर सामाजिक–आर्थिक प्रभाव।

19. क्या संस्था/संगठन को प्रदान की गई सेवाओं के लिए राज्य/राष्ट्रीय स्तर पर पहले कोई पुरस्कार प्राप्त हुआ है? यदि हाँ, तो कृपया पुरस्कार का विवरण दें।

20. आपके क्षेत्र के दो प्रतिष्ठित व्यक्तित्वों का नाम, पता और टेलीफोन/मोबाइल नम्बर/ईमेल आईडी जो समुदाय के लिए आपके संस्था/संगठन द्वारा किए गए कार्यों से भलीभाँति परिचित हैं।

21. संस्था/संगठन इस आशय का स्वः प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा कि सरकार/न्यायालय द्वारा उसे काली सूची में नहीं डाला गया है।

तारीख :

संस्था/संगठन के प्रमुख के हस्ताक्षर
नाम
सील मोहर

सिफारिश

मैं –– वर्षों से इस संस्था/संगठन की गतिविधियों से अवगत हूँ और मैं प्रमाणित करता हूँ कि ऊपर दिए गए विवरण सही हैं। संस्था/संगठन डॉ. वेल्थी फिशर पुरस्कार के लिए पात्र है और मैं पुरस्कार के लिए इसकी अनुशंसा करता हूँ।

हस्ताक्षर

दिनांक :

नाम और पदनाम
सील मोहर

नोट :

* पुरस्कार के लिए अपूर्ण आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

** संस्था/संगठन के मुख्य कार्यकारी और एक सदस्य, जो चयनित होने पर पुरस्कार प्राप्त करेंगे, की 02 पासपोर्ट आकार की तस्वीरें संलग्न की जानी चाहिए।

*** अनुशंसा प्राधिकारी आवेदक द्वारा की गई घोषणा के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है।